भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 52**82**

उत्तर देने की तारीख : सोमवार, 03 अप्रैल, 2023

13 चैत्र, 1945 (शक)

ए.एस.आई. की भूमि पर अतिक्रमण

5282. **प्रो. सौगत राय**:

क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की भूमि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्य सरकार के किन्हीं अभिकरणों/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की भूमि पर अतिक्रमण किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) अतिक्रमणों को हटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) : भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास केंद्रीय रूप से संरक्षित स्मारकों/स्थलों के आसपास 161.19 वर्ग कि.मी. और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 39 मंडलों/लघु मंडलों से संबंधित कार्यालय भवन/स्टाफ क्वार्टरों की 0.15 वर्ग कि.मी. भूमि उपलब्ध है। अतः आवास और शहरी मामले मंत्रालय की सरकारी भूमि सूचना प्रणाली (जीएलआईएस) पोर्टल के अनुसार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास उपलब्ध कुल भूमि 161.34 वर्ग किलोमीटर है। देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से संबंधित भूमि/भवन की संख्या का राज्य-वार विवरण **अनुबंध-I** के रूप में संलग्न है।

(ख) और (ग) : जी, हां। ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(घ) : संरक्षित स्मारकों और संरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमण को प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष 1958 (संशोधन और विधि मान्यकरण) अधिनियम, 2010 और उसके तहत बनाए गए नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार हटाया जाता है। अतिक्रमणों को रोकने और उन्हें हटाने के लिए, मंडलों के प्रभारी अधीक्षण पुरातत्वविद् को सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के तहत अतिक्रमणकारियों को बेदखली नोटिस/आदेश जारी करने के लिए एक संपदा अधिकारी की शक्तियां प्रदत्त हैं। वे प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष 1958 (संशोधन और विधि मान्यकरण) अधिनियम, 2010 और नियम 1959 के प्रावधानों के तहत कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए भी अधिकृत हैं, जिसके बाद केंद्र सरकार द्वारा इस तरह

के अतिक्रमण को हटाने के लिए जिला कलेक्टर/मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया जाता है। अधिनियम की धारा 19(2) और नियम की धारा 38(2) के तहत अतिक्रमण रोकने व हटाने में संबंधित राज्य सरकार/पुलिस बल से भी सहयोग मांगा जाता है और जहां कोई सार्थक परिणाम नहीं मिलता है, वहां अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध न्यायालय में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की जाती है। चयनित स्मारकों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए नियमित पहरा और निगरानी कर्मचारियों के अलावा, निजी सुरक्षा कर्मियों, राज्य पुलिस गार्ड और सीआईएसएफ को भी तैनात किया गया है।

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 03.04.2023 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 5282 के उत्तर के भाग (क) में संदर्भित अनुबंध

देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से संबंधित भूमि का राज्य-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	केंद्रीय संरक्षित स्मारक/स्थल और कार्यालय भवन/स्टाफ क्वार्टर		खंडों की कुल संख्या
		भूमि खंड	भवन खंड	
1.	आंध्र प्रदेश	118	3	121
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
3.	असम	50	2	52
4.	बिहार	22	0	22
5.	छत्तीसगढ़	83	0	83
6.	दमन और दीव (संघ राज्य क्षेत्र)	11	0	11
7.	गोवा	18	1	19
8.	गुजरात	90	2	92
9.	हरियाणा	91	0	91
10.	हिमाचल प्रदेश	40	0	40
11।	जम्मू और कश्मीर (संघ राज्य क्षेत्र)	19	0	19
12.	झारखंड	5	1	6
13.	कर्नाटक	226	4	230
14.	केरल	31	1	32
15.	लद्दाख (संघ राज्य क्षेत्र)	0	0	0
16.	मध्य प्रदेश	212	26	238
17.	महाराष्ट्र	152	6	158
18.	मणिपुर	0	0	0
19.	मेघालय	0	0	0
20.	मिजोरम	0	0	0
21.	नगालैंड	0	0	0
22.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	150	3	153
23.	ओडिशा	67	10	77
24.	पुडुचेरी (संघ राज्य क्षेत्र)	7	0	7

25.	पंजाब	33	1	34
26.	राजस्थान	126	6	132
27.	सिक्किम	0	0	0
28.	तेलंगाना	10	0	10
29.	तमिलनाडु	267	1	268
30.	त्रिपुरा	0	0	0
31.	उत्तर प्रदेश	358	6	364
32.	उत्तराखंड	10	11	21
33.	पश्चिम बंगाल	84	0	84

अनुबंध II

लोक सभा में दिनांक 03.04.2023 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 5282 के उत्तर के भाग (ख) और (ग) में संदर्भित अनुबंध

राज्य सरकार की एजेंसियों/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा अतिक्रमित केंद्रीय संरक्षित स्मारकों का (राज्य-वार) विवरण

क्र.सं.	स्मारक का नाम	ज़िला	राज्य
1.	कछारी के खंडहर	खासपुर, कछार	असम
2.	प्राचीन टीला	बक्सर	बिहार
3.	चैतुरगढ़ किला	कोरबा	छत्तीसगढ़
4.	दंतेश्वरी देवी मंदिर, दंतेवाड़ा	दक्षिण बस्तरदंतेवाड़ा	
5.	राजीव लोचनमंदिर, राजिम	गरियाबंद	
6.	केशव नारायण मंदिर, शिविनारायण	पामगढ़ , जांजगीर-चंपा	
7.	ध्वस्त किला, नूरपुर	कांगड़ा	हिमाचल प्रदेश
8.	सत मजली	विजयपुरा	कर्नाटक
9.	जलमदिर	विजयपुरा	
10.	महादेव , ज़ोडगा का हेमाडपंती मंदिर	नासिक	महाराष्ट्र
11.	हीराकोट पुराना किला, अलीबाग	रायगढ़	
12.	बालापुर किला, बालापुर	अकोला	
13.	पंच की बाहरी शहर की दीवार का दक्षिण पूर्व गढ़बुरुंज	अकोला	
14.	सर्वे नंबर 181 में प्रस्तर चक्र के साथ मेगालिथिक सिस्ट और केर्न्स, सर्वे नंबर 95,04 और 31/ए में वेनपक्कम और मेगालिथिक सिस्ट और स्टोन सर्कल के साथ केर्न्स	वेधनारायणपुरम	तमिलनाडु
15.	पंच मर्हिया मदनपुर के सामने बड़ा मंदिर	ललितपुर	उत्तर प्रदेश

*****